मु.नं.–20 / 2020 GCMS ID-2020/00037 ता.रजु–03.06.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

संगीता मीना पत्नि डॉ. दर्शन लाल मीना, ग्राम व पोस्ट–मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–19.08.2020

1. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस(कोविड–19) के कारण न्यायालय में सुनवाई स्थगित किये जाने से प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी प्रथम सुनवाई दिनांक 15.06.2020 को उपस्थित। उसके बाद दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में सरपंच पद हेतु पंचायत आम चुनाव 2020 से संबंधित मतदान बूथ संख्या 58 में संधारित मतदाता रजिस्टर प्रारूप–12, अभिलिखित मतो का अभिलेख प्ररूप 14 भाग 1, गणना का परिणाम प्ररूप 14 भाग 2, वीडियोग्राफी आदि कुल 8 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांक संख्या सू.अ.अ. / 2020 / 237 दिनांक 21.05.2020 को प्रेषित सूचना से व्यथित होकर यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 360 दिनांक 24.07.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके पत्रांक सू.अ.अ. / 2020 / 352 दिनांक 24.07.2020 द्वारा अपीलार्थी को पुनः इस कार्यालय के विनिश्चय से अवगत करवाया जा चुका है एवं बिन्दु संख्या 8 की संशोधित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक–प.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 2750 दिनांक 07.08.2019 के बिन्दु संख्या 'एफ' के अनुसार चुनाव संबंधी वीडियोग्राफी की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने हित साबित करने होंगे। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में वीडियोग्राफी की नकल हेतु उनका हितबद्ध होना साबित नहीं किया गया है। इसलिये वीडियोग्राफी की नकल देय नहीं है। शेष सूचना सुरक्षित अभिरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखी हुई है जिसकी प्रतिलिपि सक्षम न्यायालय के आदेश से ही संबंधित को जारी की जा सकती है। राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन (नियम) 1994 के नियम 53क(3) के तहत प्रतिलिपि दिया जाना निषिद्ध है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से एवं सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी के उपस्थित नही आने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.08.25 17:37:09 IST
Reason: SelfAttested